भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम।

विविध वाद सं0 60/2022–23 (B.C.)

श्रीमती उर्मिला देवी एवं 01 अन्य .... प्रथम पक्ष।

बनाम

मौमिता महतो .... द्वितीय पक्ष।

क्रमांक/ तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की का
06.03.23		

यह वाद मौजा–चारचक्का, थाना नं0–388, खाता नं0–87, प्लॉट नं0–224, रकवा 38 डी0, वार्षिक लगान 2.00 रू0 है। भूमि के अन्तरण से संबंधित है। इस वाद की आवेदकगण 01. श्रीमती उर्मिला देवी, पति स्व0 भवतारण महतो एवं 02. श्री संजय कुमार महतो पिता स्व0 भवतारण महतो, ग्राम चारचक्का, थाना धालभूमगढ़, जिला–पूर्वी सिंहभूम के निवासी हैं। विपक्षी मौमिता महतो, पति गुरूदेव महतो, पता हो0 न0 102, दुर्गा बाड़ी रोड उलियान कदमा थाना कदमा, जिला–पूर्वी सिंहभूम के निवासी हैं।

इस वाद में निर्गत सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आवेदकगण के द्वारा प्रश्नगत भूमि के अन्तरण हेतु समर्पित कागजात एवं शपथ पत्र सं0 06 एवं 07 दिनांक 22.12.2022 तथा अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ के पत्रांक–98 दिनांक–25.02.2023 के माध्यम से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि आवेदक सं0 01. के पति एवं आवेदक सं0 02 के पिता स्व0 भवतारण महतो के द्वारा निबंधित विक्री केवाला सं0 153 दिनांक 17.01.2003 के माध्यम से क्रय किया गया तथा नामान्तरण मुकदमा सं0 97/2003–04 के माध्यम से नामान्तरण करा लिया गया है। आवेदक सं0 01 के पति एवं आवेदक सं0 02 के पिता आवेदित भूमि के जमाबंदी रैयत हैं।

आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदकगण को उक्त जमीन बिक्री हेतु प्रथम द्रष्टया हक प्राप्त है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके परिवार के जीवन निर्वाह हेतु लगभग 05 बीघा से अधिक जमीन शेष बचता है। आवेदकगण आवेदित भूमि को कुल 380,000.00 (तीन लाख अस्सी हजार) रू0 में विक्री करना चाहतें है, जो अपरिहार्य है।

दिनांक 28.12.2022 को निर्गत सर्वसाधारण सूचना के विरूद्ध अब तक किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। उभय पक्ष अर्थात विक्रेता एवं क्रेता पिछड़ी जाति के सदस्य है एवं एक ही जिला के अन्तर्गत निवास करते हैं।

अतः उपर्युक्त प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 46(ख) के अन्तर्गत आवेदित भूमि के अन्तरण हेतु आवेदकगण को इस शर्त के साथ भूमि हस्तांतरण अनुमति प्रदान की जाती है कि विक्रेता एवं क्रेता विक्री की जाने वाली भूमि के हक/दखल कब्जा/कोई विवाद के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगें।

लेखापित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम।
(अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त)

Digitally signed by NEET NIKHIL SURIN
Date: 2024.09.20 13:29:05 +05:30
Location: 192.168.1.41

C.C of final order is issued vide no. 87/23